छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

शिकायत प्रकरण कमांक 258/2007

1. **श्री राकेश चौबे,** – *शिकायतकर्ता*
   10/226, सत्ती बाजार,
   रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** – *अनावेदक*
   सचिव, भातखण्डे ललितकला शिक्षा समिति,
   गुरूकुल परिसर, कालीबाड़ी रोड,
   रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 24 जनवरी, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्री राकेश चौबे ने अनावेदक जन सूचना अधिकारी, सचिव, भातखण्डे ललितकला शिक्षा समिति, रायपुर के समक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 08.03.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु अनावेदक द्वारा उन्हें जानकारी प्रदान नही की गई, जिससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 13.07.2007 को यह शिकायत प्रस्तुत की गई है ।

2/ उभय पक्ष की सुनवाई की गई तथा प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया । अनावेदक की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उन्हें शासन से कोई अनुदान प्राप्त नही होता इसलिए उन पर सूचना का अधिकार अधिनियम लागू नही होता है, अतः जानकारी देने हेतु बाध्य नही है । शिकायतकर्ता द्वारा तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन, भू-परिमाप तथा बन्दोबस्त विभाग के आदेश दिनांक 04.03.1966 की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें उक्त समिति को रियायती सामान्य शर्तो पर भूमि पट्टा दिये जाने का उल्लेख है, जिसमें भू-भाटक का आठवां भाग का उल्लेख किया गया है और यह रियायत काफी अधिक राशि की हो जाती है, अतः इस आधार पर इस संस्था को अनुदान प्राप्त संस्था मान्य करना न्यायोचित रहेगा, अतः शिकायतकर्ता की शिकायत स्वीकार करने योग्य है और इस संबंध में अनावेदक का तर्क मान्य करने योग्य नही है । अतः निर्देश दिये जाते हैं कि शिकायतकर्ता द्वारा जो भी जानकारी मॉगी गई है, वह अनावेदक की ओर से उन्हें 30 दिवस के अन्दर निःशुल्क प्रदान किया जावे । चूंकि अनावेदक ने नियमों की व्याख्या में हुये भ्रम के कारण ही जानकारी देने से मना किया है, अतः उन पर

शास्ति की कार्यवाही किया जाना आवश्यक प्रतीत नही होता है, इसी प्रकार किसी प्रकार के मुआवजा की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त प्रकरण का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त